आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 673/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यस बैंक लिमिटेड, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. ओ–19–ए, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स मोदी ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर श्री मोहन मोदी,
   पता :– शॉप नं. 1, ग्लास फेक्ट्री के सामने, टोंक रोड़, जयपुर।
   एवं सी–124 ए, रोड नं. 9 ए, वीकेआई, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 41, इन्द्रा नगर स्कीम, नियर गोपालपुरा रोड, टोंक रोड, जयपुर।
2. श्री मोहन मोदी पुत्र श्री सीताराम मोदी,
   पता :– प्लॉट नं. 35 एवं 41, इन्द्रा नगर, गोपालपुरा सर्किल, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
   एवं मैसर्स मोदी ट्रेडर्स शॉप नं. 1, ग्लास फेक्ट्री के सामने, टोंक रोड़, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 41, इन्द्रा नगर स्कीम, नियर गोपालपुरा रोड, टोंक रोड, जयपुर।
3. श्री मनोज मोदी पुत्र श्री सीताराम मोदी,
   पता :– प्लॉट नं. 35 एवं 41, इन्द्रा नगर, गोपालपुरा सर्किल, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
   एवं मैसर्स सपनिसो इंडिया, प्लॉट नं. 04, शालीमार एनक्लेव, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 41, इन्द्रा नगर स्कीम, नियर गोपालपुरा रोड, टोंक रोड, जयपुर।
4. श्री अनिल मोदी पुत्र श्री सीताराम मोदी,
   पता :– प्लॉट नं. 35 एवं 41, इन्द्रा नगर, गोपालपुरा सर्किल, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
   एवं मैसर्स मोदी ट्रेडर्स शॉप न. 1, ग्लास फेक्ट्री के सामने, टोंक रोड, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 41, इन्द्रा नगर स्कीम, नियर गोपालपुरा रोड़, टोंक रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री अविनाश कुम्भज, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश — दिनांक 23.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मनोज मोदी के स्वामित्त्व की संपति प्लॉट नं. 41, इन्द्रा नगर स्कीम, नियर गोपालपुरा रोड, टोंक रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 512.11 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 27.02.2014 को राशि 38,00,000/– रूपये एवं दिनांक 14.12.2020 को राशि 05,35,000/– कुल राशि 43,35,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनाक 23.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 43,35,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 31,77,829.21/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.08.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री मनोज मोदी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट न. 41, इन्द्रा नगर स्कीम, नियर गोपालपुरा रोड, टोंक रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 512.11 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 23.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर